



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-11042025-262410
CG-TL-E-11042025-262410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947

No. 1665]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 4 अप्रैल, 2025

का.आ. 1696(अ).— भारत सरकार, रेल मंत्रालय की अधिसूचना, जो एस.ओ. 409 (ई) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) दिनांकित 22 जनवरी 2025 को “आंध्र प्रदेश राज्य के डॉ.बी.आर.अम्बेडकर कोनसीमा जिला में स्थित समपार फाटक के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण” के संबंध में प्रकाशित हुई थी, में रेल मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र तैयार करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ.409 (अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क) , दिनांकित 22 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “ कडियम - द्वारपुडि स्टेशनों के बीच 593/32-34 कि.मी. पर स्थित समपार फाटक सं. 407 के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण” को	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ.409 (अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क), दिनांकित 22 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “ कडियम - द्वारपुडि स्टेशनों के बीच 593/32-34 कि.मी. पर स्थित समपार फाटक सं. 407 के स्थान पर ऊपरी पैदल

जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व गोदावरी जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.	पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के डॉ.बी.आर.अम्बेडकर कोनसीमा जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.
--	---

[फा. सं. RSP/SC/Gazette /37A/LC.407 /BZA -VSKP/BZA/Corrigendum/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि /आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railways)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 4th April, 2025

S.O. 1696(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) Dated 22 January 2025 vide S.O.409(E) regarding “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Dr.B.R.Ambedkar Konaseema, in the of State of Andhra Pradesh” the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Sl.No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2, dated 22 nd January 2025 vide S.O.409(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 407 at Km. 593/32-34 in between Kadiyam - Dwarapudi stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of East Godavari for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2, dated 22 nd January 2025 vide S.O. 409(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 407 at Km. 593/32-34 in between Kadiyam - Dwarapudi stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Dr.B.R.Ambedkar Konaseema for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette /37A/LC.407 /BZA -VSKP/BZA/Corrigendum/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP